

1. राजस्व अपील सं० 160/2019—बागाराम बनाम राज० सरकार वगैरा
2. राजस्व अपील सं० 240/2019—पेमाराम बनाम राज० सरकार वगैरा

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी—अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 160/2019

अपीलांट

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

बागाराम पुत्र गुलाराम जाट  
निवासी भैसेर कोटवाली, तह०  
तिंवरी जिला जोधपुर

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर
2. नारायणराम पुत्र हरजीराम
3. जेठाराम पुत्र हरजीराम के का.मु. 3/1 सुखराम पुत्र स्व० जेठाराम 3/2 विमला पुत्री स्व० जेठाराम
4. गोकलराम पुत्र हरजीराम
5. पेमाराम पुत्र हरजीराम
6. भंवरलाल पुत्र चूनाराम
7. भगवानाराम पुत्र अमराराम के का.मु. 7/1 तुलछाराम पुत्र स्व.भगवानाराम 7/2 गंगाराम पुत्र स्व. भगवानाराम 7/3 पुखराज पुत्र स्व. भगवानाराम 7/4 दुर्गाराम पुत्र स्व.भगवानाराम
8. गंगाराम पुत्र प्रतापराम
9. भगवानाराम पुत्र प्रतापराम  
(सभी जाति जाट, निवासी ग्राम भैसेर कोटवाली, तह० तिंवरी जिला जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956, विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी ओसियां आदेश राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017 दिनांक 02.02.2017

उपस्थिति —

1. श्री लाधूराम पूनिया वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड सं० 1
3. श्री रूघाराम चौधरी वकील रेस्पोंड सं० 5 (प्रकरण सं० 240/2019 में)
4. श्री नरपत चौधरी वकील रेस्पोंड सं० 2 से 4 व 6 से 9 (प्रकरण सं० 240/2019 में)

राजस्व अपील संख्या 240/2019

अपीलांट्स

बनाम

रेस्पोंडेन्ट्स

पेमाराम पुत्र हरजीराम जाट  
निवासी ग्राम भैसेर कोटवाली,  
तह० तिंवरी जिला जोधपुर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी (जोधपुर)
2. उपखण्ड अधिकारी ओसियां (जोधपुर)
3. नारायणराम पुत्र हरजीराम
4. जेठाराम पुत्र हरजीराम के का०मु० 4/1 सुखराम पुत्र जेठाराम 4/2 विमला पुत्री जेठाराम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
जोधपुर

1. राजस्व अपील सं० 160/2019—बागाराम बनाम राज० सरकार वगैरा
2. राजस्व अपील सं० 240/2019—पेमाराम बनाम राज० सरकार वगैरा

Page 2 of 4

5. गोकलराम पुत्र हरजीराम
6. भंवरलाल पुत्र चुनाराम
7. भगवानाराम पुत्र अमराराम के का.मु.  
7/1 तुलछाराम पुत्र स्व.भगवानाराम  
7/2 गंगाराम पुत्र स्व. भगवानाराम  
7/3 पुखराज पुत्र स्व. भगवानाराम  
7/4 दुर्गाराम पुत्र स्व.भगवानाराम
8. बागाराम पुत्र गुलाराम
9. गंगाराम पुत्र प्रतापराम
10. भगवानाराम पुत्र प्रतापराम  
(निवासी ग्राम भैसेर कोटवाली, तह०  
तिंवरी जिला जोधपुर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० भू राजस्व अधिनियम 1956, विरुद्ध  
उपखण्ड अधिकारी ओसियां आदेश राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017  
दिनांक 02.02.2017

उपस्थित—

1. श्री रूघाराम चौधरी, वकील अपीलांत
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो० सं० 1 व 2
3. श्री नरपत चौधरी वकील रेस्पो० सं० 3 से 7 व 9 से 10
4. श्री एल०आर० पूनिया रेस्पो० सं० 8

निर्णय

दिनांक 03.04.2023

उपरोक्त दोनो अपील प्रकरणों के पक्षकार एवं तथ्य एक समान होने से दोनों ही अपीलें एक ही संयुक्त निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक हस्ताक्षरशुदा प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

प्रस्तुत अपील प्रकरणों के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी ओसियां ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तों की समस्या के निवारणार्थ राजस्व विभाग से सर्वे करवाकर मौके पर जारी रास्तों बाबत प्रस्ताव आमंत्रित करने के संदर्भ में तहसीलदार तिंवरी द्वारा राजस्व ग्राम भैसेस कोटवाली में (प्रस्ताव सं० 1) भैसेर कोटवाली से तिंवरी जाने वाले डामर सड़क से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुड्को की ढाणियां जाने वाले मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शों में अंकन करना प्रस्तावित किया गया। प्रस्ताव के संलग्न विवरण अनुसार ग्राम भैसेर कोटवाली के खसरा नं० 115, 103, 113, 102, 78, 78/1, 78/2, 78/3, 81/2 व 77/3 की रकबा भूमि में से रास्ते में उपयोग आ रही भूमि के उल्लेखित रकबा को मौके पर रास्ता चालू होना बताते हुए नजरी नक्शा व जमाबंदी संवत् 2068-71 की प्रतियां प्रस्तुत की गईं। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ओसियां के अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.



अधिकारी  
जोधपुर

2.2017 द्वारा प्रस्ताव अनुसार इसे राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी एवं नक्शों) में भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकन करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा पृथक-पृथक उक्त दो अपीलें अपीलें न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर दोनो अपीलों का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलाट्स ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि जमाबंदी संवत् 2068-71 के अनुसार अपीलाट-बागाराम तथा पेमाराम मूल खसरा नम्बर क्रमशः 78 तथा खसरा नम्बर 102, 115 के रेकर्ड खातेदार/सह-खातेदार है। खसरा नं० 78, 102 व 115 में जिस स्थान पर रास्ता काटा गया है, मौके पर उस स्थान पर कदिमी रास्ता विद्यमान नहीं है, बल्कि रा०प्रा०वि० हुडको की ढाणी के लिए अलग से रास्ता मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता अभियान के तहत अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाट्स एवं सहखातेदारों की सहमति नहीं ली गई तथा उन्हें नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। रास्ते की कार्यवाही राजस्व अभियान 2016 तक ही सिमित थी तथा किसी पडौसी खातेदार द्वारा रास्ते की मांग नहीं की गई। अतः अपील अपीलाट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्प० अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार रास्ता अभियान के अन्तर्गत रास्तों की समस्या का निवारण हेतु तहसीलदार तिंवरी से मौके पर चालू रास्तों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गये। इस संदर्भ में तहसीलदार तिंवरी द्वारा राजस्व ग्राम भैसेस कोटवाली में (प्रस्ताव सं० 1) भैसेस कोटवाली से तिंवरी जाने वाले डामर सड़क से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुडको की ढाणियां जाने वाले मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं नक्शों में अंकन करना प्रस्तावित किया गया। प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा व जमाबंदी संवत् 2068-71 की प्रतियां प्रस्तुत कर मौके पर चालू रास्ते का राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी एवं नक्शे) में अंकन हेतु अनुशंषा की गई। अतः अपीलाधीन आदेश राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं सार्वजनिक हित में होने से उक्त दोनो अपीलें खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।



अधीनस्थ

राजकीय अधिवक्ता

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उक्त अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय से उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार तिवरी के प्रस्ताव व उसके संलग्न नजरी नक्शे के आधार पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2017 को अपीलांट के खातेदारी/सह-खातेदारी ख०नं० 78, 102 व 115 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 03 अप्रैल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
03.04.24  
(अजीत सिंह राजावत)  
अतिरिक्त संग्रामीय अधिवक्ता  
जोधपुर